राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र / 2020 / 248 दिनांक : 07/7/2020

कार्यालय आदेश

मण्डल द्वारा मण्डल कर्मचारियों / पत्रकारों / माननीय विधायको / सांसदो को विभिन्न शहरों में पूर्व के वर्षों में प्लिंथ लेवल / स्केल्टन आवासों का आवंटन किया गया था। जिनके आवंटन पत्रो में निर्माण संबंधी सीमा की कोई शर्त नहीं लगाये जाने के कारण अधिकांश कर्मचारियों, पत्रकारो, माननीय विधायकगण व सांसदगण द्वारा आदिनांक तक निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। निर्माण कार्य नहीं कराये जाने के कारण पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र / 2020 / 1292 दिनांक 31.01.2020 के अन्तर्गत शास्ति के नोटिस जारी किये गये।

प्लिंथ / स्केल्टन आवासों के संबंध में जोधपुर से प्राप्त सूचना अनुसार मण्डल कर्मचारियों / पत्रकारों / माननीय विधायको / सांसदो को आवंटित लगभग 625 आवास प्लिंथ / स्केल्टन आवासों का आवंटन किया गया है। जिनके आवंटन पत्रो में निर्माण के समय सीमा की अवधि का उल्लेख नहीं किये जाने के कारण अब उक्त आवंटियों को एक बारीय राहत प्रदान करते हुए अब तक निर्माण नहीं किये जाने की देरी को **condone** (माफ) करते हुए नये सिरे से 02 वर्ष की अवधि दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। यदि 02 वर्ष की अवधि में भी सम्बंधित द्वारा निर्माण नहीं कराया जाता है, तो प्रचलित नियमानुसार शास्ति वसूल किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव–अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव / वितीय सलाहकार / निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मु0) / प्रथम / द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर / जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति0 मुख्य प्रारूपकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त वृत्त–..................., रा0 आ0म0, ... ।
8. आवासीय अभियन्ता खण्ड.................., रा0 आ0म0 .... ।
9. सयुक्त एनाालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त / आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक